

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग - 1
संख्या : 996/29(150)/XXVII(1)/2016
देहरादून, दिनांक : 01 सितम्बर 2016

कार्यालय- ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में पब्लिक फाइनैशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-13015(460)/MFCGA/PFMS/2016-17/1136-1165 दिनांक 24.06.2016 द्वारा की गई अपेक्षा तथा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट्स (SPMU) एवं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (DPMU) को आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु राज्य सलाहकार समूह के गठन से सम्बन्धित वित्त अनु0-01 के कार्यालय ज्ञाप सं0-941/XXVII(1)/2016 दिनांक 16.08.2016 को निरस्त करते हुए राज्य सलाहकार समूह के निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	-	सदस्य
3.	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-	सदस्य
4.	सचिव, ग्राम्य विकास	-	सदस्य
5.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	-	सदस्य
6.	सचिव, नियोजन	-	सदस्य
7.	सचिव, समाज कल्याण	-	सदस्य
8.	सचिव, सहकारिता	-	सदस्य
9.	सचिव, पंचायती राज	-	सदस्य
10.	उप महालेखा नियंत्रक (PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	-	सदस्य
11.	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें	-	सदस्य
12.	निदेशक, एन0आई0सी0	-	सदस्य
13.	महाप्रबन्धक, आर0बी0आई0	-	सदस्य
14.	नोडल अधिकारी, UIDAI	-	सदस्य
15.	सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	-	सदस्य
16.	बैंकिंग सलाहकार	-	सदस्य
17.	अपर सचिव, वित्त	-	सदस्य सचिव

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या ११६ /XXVII(1)/2016 एवं तददिनांक ०१/११/१६

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. उप महालेखा नियंत्रक(PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
6. महाप्रबन्धक, आर०बी०आई०, उत्तराखण्ड।
7. नोडल अधिकारी, UIDAI, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड।
9. बैंकिंग सलाहकार, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव